



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248005

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/०६/२०२४-२५/२९४

दिनांक ०९ अप्रैल २०२६

चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) परीक्षा-२०२६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त ४७ पदों हेतु विस्तृत विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	दिनांक ०९ अप्रैल २०२६ (वृहस्पतिवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	—	दिनांक १५ अप्रैल, २०२६ (बुधवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक ०५ मई, २०२६ (मंगलवार) सांय ०५.०० बजे तक
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit Card/ Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	दिनांक ०५ मई, २०२६ (मंगलवार) सांय ०५.०० बजे तक
ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु समय अवधि	—	दिनांक ०७ मई २०२६ से दिनांक १० मई २०२६ तक (सांय ०५.०० बजे तक)

१. रिक्तियों का विवरण— कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या ४७ है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक)	₹ 56,100- ₹ 1,77,500 (लेवल 10)	03	03	10	04	27	47

२. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	पूर्व सैनिक 05%	स्व० सं० से० आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	कुशल खिलाड़ी 04%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित 10%
1	अनुसूचित जाति	03	00	01 (ओ०ए०, ओ०एल०, डीडब्ल्यू, ए०ए०वी०/ ए०वी०, टी०एच०, एच०पी० बी०एल०)	00	00	00	00	00
2	अनुसूचित जनजाति	03	00		00	00	00	00	00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	03		00	00	00	00	00
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	00		00	00	00	00	00
5	अनारक्षित	27	08		01	00	01	01	02
योग		47	08		01	00	01	01	02

३. पद का स्वरूप— राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।
४. वेतनमान— ₹56,100-₹1,77,500 (लेवल 10)

5. **शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ**— सेवा में चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि—
1. **अनिवार्य**—
 - (01) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता।
 - (02) राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में स्थाई रूप से पंजीकृत हो।
 2. **अधिमानी अर्हताएं**— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
 - (01) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 - (02) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र किया हो, या
 - (03) औषधि, शल्य चिकित्सा, वक्ष रोग, स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान, विकृति विज्ञान, कान, नाक, गला, नेत्र विज्ञान, विकिरण विज्ञान, अस्थि रोग विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान, रति रोग और मनोरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
- नोट**— यदि अभ्यर्थी द्वारा विदेश से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, तो उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination) द्वारा आयोजित की जाने वाली विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट परीक्षा (एफएमजीई) (Foreign Medical Graduate examination-FMGE) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी।
7. **आयु**— आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।
उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों को समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट होगी जितनी अनुमन्य होगी। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।
8. **अधिकतम आयु सीमा में छूट**— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0— 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0— 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के

सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत है। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a 14 higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

9. **अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:**— आरक्षण का दावा करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

10. **राष्ट्रीयता**—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस, उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अधिक अवधि के बाद आगे सेवा इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. **चरित्र**—सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. **वैवाहिक प्रास्थिति**—पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

13. **शारीरिक योग्यता**—किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को राजपत्रित पद या सेवा के मामले में नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

परन्तु दिव्यांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार शारीरिक योग्यता मान्य होगी।

14. **आरक्षण**— आरक्षण मात्र उत्तराखण्ड के स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारकों को देय होगा। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रित तथा कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0), उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रित तथा कुशल खिलाड़ी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- लम्बवत् आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
 - क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे दिव्यांगजन, कुशल खिलाड़ी तथा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी और उनके आश्रित अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।
 - आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
 - शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। **वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 की आय के आधार पर जारी किया गया हो।**
 - शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **"अनाथ बच्चों"** से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ

बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। शासनादेश संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक-16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

- f. दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार निम्न दिव्यांगता श्रेणियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा-

S.No	Category Code	Abbreviation used in English	Abbreviation used in Hindi
1.	O.A.	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Attaxie	एक हाथ प्रभावित (1) हाथों को पूरी तरह फैलाने, उपर उठाने या किसी वस्तु तक पहुंचने में असमर्थता या कठिनाई (2) हाथ पकड़ने में असमर्थता (3) स्त्रायु दुर्बलता
2.	O.L.	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
3.	Dw	Dwarfism	बौनापन
4.	A.A.V./A.V.	Acid Attack Victim/Acid Victim	एसिड आक्रमण पीड़ित/एसिड पीड़ित
5.	Th.	Thalassaemia	थैलेसीमिया
6.	Hp.	Hemophillia	हीमोफीलिया
7.	B.L.	Both Legs Affected	दोनों पैर प्रभावित

तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- h. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 06 मई 2023 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 05 मई 2026 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

- i. “पूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो— (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना के पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोट: पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

- j. “स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित” से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।
- k. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18 अगस्त 2024 में उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- l. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2024 द्वारा “कुशल खिलाड़ी” से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थाई अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001 दिनांक 20 नवम्बर 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् होगा:-

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल- 9 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल- 7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल- 6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल- 5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणत क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम में तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

- m. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18 अगस्त 2024 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 में "चिन्हित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण समक्ष अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो। "आश्रित" से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।
- n. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 160/xxxvi(3)/2025/12(01)/2025 दिनांक 22 अप्रैल 2025 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाररिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025 में यह प्राविधान है कि भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। दिव्यांगजन उपश्रेणी के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रणीत किया जायेगा।
- o. उत्तराखण्ड महिला का आरक्षण में उसी महिला अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तथा जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में सम्बन्धित श्रेणी की उपश्रेणी में 'उत्तराखण्ड महिला' का अंकन किया गया हो।
- p. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।
- q. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- r. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- s. उपर्युक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी की गणना आरक्षित श्रेणी के रूप में की जायेगी।
- t. अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप-श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथ विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय

द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।

15. परीक्षा पाठ्यक्रम—

कुल अंक:— 100

- एम0बी0बी0एस0 परीक्षा—20 अंक (50 प्रतिशत से 54.99 प्रतिशत तक— 05 अंक, 55 प्रतिशत से 59.99 प्रतिशत तक— 10 अंक, 60 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत तक— 15 अंक तथा 65 प्रतिशत अथवा उससे अधिक—20 अंक)
- अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता—10 अंक (क्लीनिकल विषय में पी0जी0 डिग्री— 10 अंक, क्लीनिकल विषय में डिप्लोमा—05 अंक)
- अनुभव—20 अंक
(पूर्ण 01 वर्ष हेतु 04 अंक, अधिकतम—20 अंक)
नोट:—अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)/कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कालेज में चिकित्सक के पद पर कार्य करने के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य नहीं होगा।
- मौखिक (Viva)—50 अंक

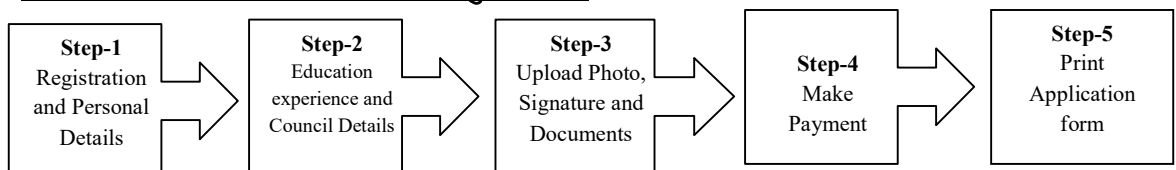
16. देश के बाहर से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination)से परीक्षा उत्तीर्ण की है, का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination)की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जायेगा।

17. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं तथा Apply Now पर क्लिक करें।
- b. ऑनलाइन आवेदन हेतु **MEDICAL OFFICER (ALLOPATHIC) EXAMINATION-2026 (For Labour Department)** के सम्मुख "Apply Now" पर जाएं क्लिक करें।
- c. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15 अप्रैल 2026 (वृहस्पतिवार) से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।
- d. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 05 मई 2026 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक) है।
- e. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन को भली-भाँति पढ़ लें। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
- f. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- g. ऑफलाइन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- h. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- i. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
- j. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः सही प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।

- k. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।
- l. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
- m. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा ही जमा करा सकते हैं।
- n. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- o. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- p. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
19. **संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया (Edit/Correction)**— ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 05 मई 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों के नाम/जन्मतिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरान्त मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 07 मई 2026 से दिनांक 10 मई 2026 समय सांय 05.00 बजे तक प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नलिखित है—
1. ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् एक कार्यदिवस के उपरान्त संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
 2. संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 04 दिन होगी।
 3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वही अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड (Registration Number and Password) से लॉग-इन कर पायेंगे।
 4. लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
 5. संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् भी ऑनलाईन प्रविष्टियों की तिथि ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मानी जायेगी।
 6. संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
 7. अभ्यर्थी द्वारा यदि श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। जैसे यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करने पर संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) पोर्टल में अनुसूचित जाति श्रेणी का चयन करता है तो इस स्थिति में अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
 8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर बोर्ड विचार नहीं किया जायेगा।

20. **ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-**



➤ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

1. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदकों को पहले UKMSSB की आधिकारिक वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है। ई-मेल तथा मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के उपरान्त अभ्यर्थी को मेल तथा मोबाइल पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा।
4. पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड द्वारा अभ्यर्थी पुनः लाग-इन करें तथा Personal Details भरें।
5. Personal Details भरने के उपरान्त अभ्यर्थी Education, Experience and Council Details भरें। इसके उपरान्त अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर तथा वांछित दस्तावेज (संयुक्त पी0डी0एफ0) अपलोड करें।
6. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।

- फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
- स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
- संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है।

- 1 High School Certificate*
- 2 Intermediate Certificate*
- 3 Domicile of Uttarakhand
- 4 Category certificate SC/ST/OBC/EWS(If any)
- 5 Sub Category Certificates: Dependent of Freedom Fighter (DFF)/Ex-Army /Differently abled (PH)/Orphan Children of Uttarakhand State /Skilled sportsperson/Uttarakhand Agitator or Uttarakhand Agitator dependent. (If any)
- 6 MBBS All Year/semester Marksheet and certificate*
- 7 NBE Marksheet and Certificate for Foreign Graduate Candidate
- 8 PG Marksheet and certificate (if any)
- 9 Other qualification Marksheet and certificate (if any)
- 10 NCC/Territorial Army Certificate (If any)
- 11 Uttarakhand Medical council registration certificate.*
- 12 Experience certificate (if Any)

नोट:- उपरोक्त के आधार पर संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (Combined Single PDF File) में क्रम संख्या 1,2,6, एवं 11 संलग्न किया जाना अनिवार्य है, तथा श्रेणी/उपश्रेणी आरक्षण सम्बन्धी लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु क्रम संख्या 3, 4 और 5 (जिसका दावा अभ्यर्थी करते हो) संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (Combined Single PDF File) के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पास क्रम संख्या 8,9, 10 तथा 11 की अर्हता है तो वह संयुक्त पी0डी0एफ0 के साथ उक्त दस्तावेज भी संलग्न करें।

7. 'Registration Number' के साथ लॉग-इन होने के पश्चात् आवेदक ऑनलाईन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं।
8. Registration Form आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा। परन्तु यदि अभ्यर्थी गलत तथ्य भरकर परीक्षा में सम्मिलित होता है अथवा

अर्हता धारित नहीं करने पर गलत डाटा अंकित कर आवेदन पत्र भरता है तो अभिलेख सत्यापन के समय उन्हें अनर्ह कर दिया जायेगा।

9. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।
10. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अपने शैक्षिक, स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र, एक संयुक्त पी0डी0एफ0 में अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
11. अभ्यर्थी आवेदन Payment होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे। संशोधन पोर्टल खुलने पर अभ्यर्थी नाम, पिता/माता/पति के नाम, जन्मतिथि इत्यादि में संशोधन कर सकते हैं।
12. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
13. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-
 - नेट बैंकिंग
 - डेबिट कार्ड
 - क्रेडिट कार्ड
 - यू0पी0आई0

21. अति महत्वपूर्ण निर्देश—

- (01) अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (02) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- (03) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त संशोधन हेतु दिये गये समय के बाद आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (04) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (05) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (06) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, स्नातक उपाधि व अंकतालिका, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र/अधिमानी अर्हता, मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- (07) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

22. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश—

- (01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 15 अप्रैल 2026 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।
- (02) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख अपलोड करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 15 मई 2026 (सांय 05:00 बजे) है।
- (03) अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।
- (04) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (05) ऑफलाईन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (06) अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (07) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।
- (08) अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव, उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल का स्थाई प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (09) **"You have successfully submitted your application for Medical Officer (Allopathic)- for labour Department"** का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

23. **शुल्क**— अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पर "Pay Fee" पर क्लिक करें तथा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करें—

क्र०सं०	श्रेणी/उपश्रेणी	आवेदन शुल्क (₹)
1	सामान्य/अनारक्षित (UR)	₹ 2,000 /—
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	₹ 1,000 /—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	₹ 2,000 /—
4	अनुसूचित जाति (SC)	₹ 1,000 /—
5	अनुसूचित जनजाति (ST)	₹ 1,000 /—
6	दिव्यांगजन (PH)	₹ 1,000 /—

नोट:—

- (1) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (2) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (3) 'उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे' उप-श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य/अनारक्षित हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (4) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- (5) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

24. साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश—

- (1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।
साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रसारित की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।
- (4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।
- (5) साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
- (6) अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।
- (7) **अँगूठे का निशान**—सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (8) साक्षात्कार तिथि, समय के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही साक्षात्कार परीक्षा देनी होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (10) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (11) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का **“अनापत्ति प्रमाण-पत्र”** मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- (12) जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
- (13) अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी।

25. सामान्य निर्देश—

- (01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/साक्षात्कार परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और साक्षात्कार परीक्षा में बैठें।
- (02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (03) साक्षात्कार परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र साक्षात्कार/प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (04) ऑनलाईन मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (06) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- (07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- (08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञप्ति पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं।
- (09) शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिवास/स्थाई निवास, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (10) कार्य अनुभव 01 वर्ष से कम होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जायेगा, अर्थात् 12 माह से कम (364 दिन) को 01 वर्ष नहीं माना जायेगा। पूर्ण वर्ष होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा।
- (11) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट (www.ukmssb.org) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- (12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक

दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देना होगा।

(13) **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा—**

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या
02. साक्षात्कार परीक्षा में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
03. साक्षात्कार संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
04. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही,

(क) बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही ही जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

26. **अनुभव प्रमाण पत्र—** अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय/चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा। अनुभव की गणना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ही की जायेगी।

27. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

शासनादेशसंख्या-23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

28. **अंगूठे का निशान (Thumb Impression)**— सभी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपलब्ध कराए गए उपस्थिति प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अंगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
29. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
30. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
31. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।
32. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
33. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी। अनुभव, शैक्षिक अर्हता तथा अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता वही मान्य होगी जो कि आवेदन पत्र में अंकित की गई हो।
34. सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति नियोक्ता अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
35. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें डाउनलोड करके अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।
36. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम- 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
37. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु बोर्ड की ई-मेल helplineukmssb@gmail.com या दूरभाष 0135-2665366 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
38. साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन माह जून-जुलाई 2026 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
39. साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें डाउनलोड करके अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।
40. परीक्षा से सम्बन्धी किसी भ्रामक खबर प्रचार-प्रसार न करें। किसी भी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल पर सम्पर्क करें।

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव